

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (I)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 61] नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 14, 1973/फाल्गुन 23, 1894

No. 61] NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 14, 1973/PHALGUNA 23, 1894

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संस्था की जाती है जिससे कि यह अलग सकलन के रूप में प्रकाशित हो सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed
as a separate compilation.

MINISTRY OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT

NOTIFICATION

New Delhi, the 14th March 1973

G.S.R. 170(E).—The following draft rules further to amend the Petroleum Rules, 1937, which the Central Government proposes to make in exercise of the powers conferred by section 4, sub-section (2) of section 5, sub-section (2) of section 14, sections 21 and 22, and sub-section (1) of section 29, of the Petroleum Act, 1934 (30 of 1934), are hereby published, as required by sub-section (2) of section 29 of the said Act, for the information of all persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft will be taken into consideration after one month from the date of the publication of the said notification.

Any objections or suggestions which may be received from any person in respect of the said draft before the date so specified will be taken into consideration by the Central Government.

Draft Rules

1. These rules may be called the Petroleum (1st Amendment) Rules, 1973.
2. In sub-rule (3) of rule 27 of the Petroleum Rules, 1937, (hereinafter referred to as the said rules) the first proviso shall be omitted.
3. In rule 50 of the said rules, in sub-rule (1), the words "or Karachi" shall be omitted.
4. In rule 73 of the said rules, in clause (1), the proviso shall be omitted.
5. In rule 115 of the said rules, for sub-rule (3A), the following sub-rule shall be substituted, namely:—

"3(A) Where the District Authority refuses to grant a no objection certificate to the applicant, or where the District Authority or the State Government, as the case may be, cancels or withdraws a no objection certificate granted under sub-rule (3), the District Authority or the State Government, as the case may be, shall give the applicant or the holder of the no objection certificate an opportunity of being heard and shall record, in writing, the reasons for such refusal cancellation or withdrawal and shall furnish the applicant or the holder of the no objection certificate, as the case may be, with a copy of any such Order."

6. In rule 120 of the said rules—

(a) to sub-rule (1) the following proviso shall be added, namely:—

"Provided that before refusing to grant, amend or renew a licence under this rule, the applicant shall be given an opportunity of being heard".

(b) in sub-rule (2), the words "on payment of a fee of rupees two" shall be omitted.

7. In rule 121 of the said rules—(A) in sub-rule (1), for clause (iii), the following clause shall be substituted, namely:—

"(iii) shall be liable to be suspended or cancelled by an order of the licensing authority for any contravention of the Act or of any rule made thereunder or of any condition contained in such licence, or by an order of the Central Government, if it is satisfied that there are sufficient grounds for doing so.

Provided that before suspending or cancelling a licence under this rule, the holder of such licence shall be given an opportunity of being heard;

Provided further that no such opportunity shall be given in cases,

- (a) Where the licence is being suspended for violation of any of the provisions of the Act or these rules, or of any condition contained in such licence and in the opinion of the licensing authority, such violation is likely to cause danger to the public or
 - (b) where the licence is suspended or cancelled by the Central Government, if that Government considers that in the public interest or in the interest of the security of the State, such opportunity should not be given".
- (B) for sub-rule (2), the following sub-rule shall be substituted, namely:—
- "(2) A Licensing authority or the Central Government, suspending or cancelling a licence under sub-rule (1), shall record its reasons for so doing in writing."

(C) sub-rule (3) shall be omitted

(D) sub-rule (4) shall be re-numbered as sub-rule (3) thereof, and in the sub-rule as so re-numbered, the words "on payment of fee of two rupees" shall be omitted

[No. 10/89/71-LI(II).]

C. BALASUBRAMANIAM, Jt. Secy.

औद्योगिक विकास मंत्रालय

अधिमूचना

नई दिल्ली, 14 मार्च, 1973

जी० एस्० आर० 170 (अ).—पेट्रोलियम नियम, 1937 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित प्रारूप नियम, जिन्हें केन्द्रीय सरकार, पेट्रोलियम अधिनियम, 1934 (1934 का 30) की धारा 4, धारा 5 की उपधारा (2), धारा 14 की उपधारा (2), धारा 21 और 22 तथा धारा 29 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बनाने की प्रस्थापना करती है, उक्त अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (2) द्वारा यथा अपेक्षित, तद्द्वारा संभाव्यतः प्रभावित होने वाले सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए एतद्वारा प्रकाशित किए जाते हैं और एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप पर—1972 को या के पश्चात् विचार किया जाएगा

उक्त प्रारूप की बाबत किसी भी व्यक्ति से इस प्रकार विनिर्दिष्ट तारीख से पूर्व प्राप्त किन्हीं आक्षेपों या सुझावों पर केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार किया जाएगा।

प्रारूप नियम

1. ये नियम पेट्रोलियम (प्रथम संशोधन) नियम, 1973 कहे जा सकेंगे।
2. पेट्रोलियम नियम, 1937 (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के नियम 27 के उपनियम (3) में, प्रथम परन्तुक को लुप्त कर दिया जाएगा।
3. उक्त नियमों के नियम 50 में, उपनियम (1) में “या करांची” शब्द लुप्त कर दिए जाएंगे
4. उक्त नियम के नियम 73 में, खण्ड (1) में, परन्तुक को लुप्त कर दिया जाएगा।
5. उक्त नियम के नियम 115 में, उपनियम (3क) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“(3क) जहां जिला प्राधिकारी आवेदक को अनापत्ति प्रमाणपत्र देने से इन्कार कर देता है, या जहां यथास्थिति के जिला प्राधिकारी या राज्य सरकार उपनियम (3) के अधीन अनुदत्त अनापत्ति प्रमाण पत्र को रद्द कर देती है या प्रत्याहृत कर लेती है, वहां यथास्थिति जिला प्राधिकारी या राज्य सरकार आवेदक को या अनापत्ति प्रमाणपत्र धारक को सुनवाई का एक अवसर देगी और ऐसी इन्कारी, रद्दकरण या प्रायाहरण के कारणों को लेखबद्ध करेगी और यथास्थिति आवेदक को या अनापत्ति प्रमाणपत्र के धारक को ऐसे आदेश की एक प्रति देगी।

6. उक्त नियम के नियम 120 में—

(क) उपनियम (1) के साथ निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जाएगा, अर्थात् :—

“परन्तु इस नियम के अधीन किसी अनुज्ञप्ति को अनुदत्त, संशोधित या नवीकृत करने से इन्कार करने से पूर्व आवेदक को सुनवाई का अवसर दिया जाएगा।”

(ख) उपनियम (2) में, “दो रुपए की फीस का संदाय करने पर” शब्द लुप्त कर दिए जाएंगे।

7. उक्त नियमों के नियम 121 में (क) उपनियम (1) में खण्ड (iii) के स्थान पर निम्न लिखित खण्ड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“(iii) यदि यह समाधान हो जाता है कि ऐसा करने के पर्याप्त कारण हैं, तो अधिनियम के या तदुद्धीन बनाए गए किसी नियम के या ऐसी अनुज्ञप्ति में अन्तर्विष्ट किसी शर्त के किसी भी उल्लंघन के लिए अनुज्ञापन प्राधिकारी के आदेश द्वारा, या केन्द्रीय सरकार के आदेश द्वारा निलम्बित या रद्दकृत होने के दायित्वाधीन होगी :

परन्तु इस नियम के अधीन अनुज्ञप्ति को निलम्बित या रद्द करने से पूर्व ऐसी अनुज्ञप्ति के धारण को सुनवाई का अवसर दिया जाएगा :

परन्तु यह और कि ऐसा अवसर उन मामलों में नहीं दिया जाएगा,

(क) जहां अनुज्ञप्ति का निलम्बन अधिनियम या इन नियमों के उपबन्धों में से किसी के या ऐसी अनुज्ञप्ति में अन्तर्विष्ट किसी शर्त के अतिक्रमण के कारण किया जा रहा हो और अनुज्ञापन प्राधिकारी की राय में ऐसे अतिक्रमण से सर्वसाधारण को खतरा होना संभाव्य हो, या

(ख) जहां, अनुज्ञप्ति केन्द्रीय सरकार द्वारा निलम्बित या रद्दकृत की गई हो, यदि उसे सरकार का विचार हो कि सर्वसाधारण के हित या राज्य की सुरक्षा के हित की दृष्टि से ऐसा अवसर नहीं दिया जाना चाहिए।”

(ख) उपनियम (2) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“(2) उपनियम (1) के अधीन अनुज्ञप्ति को निलम्बित या रद्द करने वाला अनुज्ञापन प्राधिकारी या केन्द्रीय सरकार ऐसा करने के कारणों को लेखबद्ध करेगी।”

(ग) उपनियम (3) लुप्त कर दिया जाएगा।

(घ) उपनियम (4) को उपनियम (3) के रूप में पुनःसंख्यांकित कर दिया जाएगा और इस प्रकार पुनःसंख्यांकित उपनियम में “दो रुपए की फीस का संदाय करने पर” शब्द लुप्त कर दिए जाएंगे।

[सं० 10/89/71-एल०आई०(II)]

सी० बालासुब्रामण्यम, संयुक्त सचिव।